न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

प्र0कं0 /2017 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3266

कमल सिंह जाट पुत्र स्व0श्री हेतराम जाट आयु 66 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम सिंहनिवास तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0 ......आवेदक

बनाम

1. भारतभूषण पुत्र श्री खैरसिंह रावत
2. सतवीरसिंह, 3. जयप्रकाश पुत्रगण श्री हेतराम जाट
4. चेतराम पुत्र श्री शिवलाल जाट (मृतक)
5. लखबिन्दर कौर पुत्र श्री लाल सिंह कौर
6. राजवीर कौर पत्नि श्री प्रतापसिंह कौर
7. वीर कौर पत्नि श्री मलूप सिंह जट सिक्ख
8. रामअवतार, 9. राजकुमार, पुत्रगण श्री उदयसिंह जाट
10. मलूप सिंह पुत्र श्री साधासिंह सिक्ख
11. धर्मपाल, 12 हवासिंह पुत्रगण श्री निहालसिंह जाट
13. बृजेन्द्र सिंह, 14. सिकन्दर सिंह, 15. रवि सिंह पुत्रगण श्री सुरेन्द्र सिंह
16. दयानन्द पुत्र श्री लाखेराम
17. कविता पुत्री श्री रामकिशन
18. भरत पुत्र श्री खरगा कोरी

समस्त निवासीगण ग्राम सिंहनिवास तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0

19. प्रधुम्न पुत्र श्री श्रवणलाल वर्मा
20 नरेन्द्र जैन पुत्र श्री स्वरूप चन्द्र जैन
21. मोहनदास पुत्र श्री बलभद्र प्रसाद गुप्ता
22. दीपक पुत्र श्रवणलाल वर्मा
23. स्वरूपचन्द्र पुत्र श्री किशोरीलाल जैन
24. श्रीमती कुसुम पत्नि श्री मोहनदास गुप्ता
25. श्रीमती राधारानी पत्नि श्री श्रवणलाल वर्मा

समस्त निवासीगण राजेश्वरी रोड़ शिवपुरी तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0 ....अनावेदकगण

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....2.....

प्रकरण कमांक एक–निग/शिवपुरी/भू.रा./2017/3266

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-10-17	यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण कमांक 99/08-09 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 23-8-17 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष बटवारे का आवेदन दिया गया था एंव बटवारे के लिये जो फर्द तैयार कराई गई, उसमें चेतराम अंकित था किन्तु इसके पूर्व ही दिनांक 19-9-03 को उसकी मृत्यु हो गई फि भी मृतक चेतराम को फर्द में सम्मिलित करने की त्रृटि की गई है ओर जब आपत्ति की गई तो आपत्ति आवेदन को तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23-8-17 से निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में तहसीलदार शिवपुरी के आदेश दिनांक 23-8-17 के अवलोकन पर तहसीलदार के निर्णय का अंतिम पद 4 इस प्रकार पाया गया है :– " प्रकरण में पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द में चेतराम की नाम दर्ज है किन्तु चेतराम की मृत्यु हो चुकी है तथा वतमान अभिलेख में मृतक चेतराम के वारसानों के नाम अभिलेख में दर्ज है। चेतराम के वारिसानों को नोटिस जारी हो।" तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-8-17 से स्पष्ट है कि अभिलेख में अंकित खातेदारों को सुने जाने के उद्देश्य से उन्हें सूचना देने का निर्णय लिया गया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति करना प्रतीत नहीं है। निगरानी व्यर्थ होना पाये जाने से अमान्य की जाती है। सदस्य	